

कार्यालय - केन्द्रीय नजारात अनुभाग, जनपद न्यायालय, चित्रकूट।

### सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2016-2017 के लिए कर्वी (चित्रकूट) दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक 31.03.2017 तक जलपान गृह चलाने के लिए बंद सिफाफे में विविदा न्यायालय भवन नजारात में दिनांक 19.04.2016 को सायं 4:00 बजे तक ली जाएगी।

नीलामी लेने वालों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:-


01. नीलामी कम से कम 90,000/- रु0 होंगी।
02. नीलामी वाले को रु0 2500.00 वरीर अमानत नजारात में जमा करना होगा।
03. नीलामी स्वैच्छित सभी मामों जाएंगी, जब यह नीलामी की धनराशि का 1/4 भाग तुरन्त जमा कर देगे।
04. नीलामी लेने वालों को इस बात की घोषणा दाखिल करना होगा कि वह बकायेंदार नहीं है।
05. बकायेंदार व उसके पारिवारिक सदस्य नीलामी नहीं आ सकते।
06. नीलामी लेने वाले को वाली अन्तिम रूप से यदि स्वीकार कर ली जाती है तो उस मामलाय उच्च न्यायालय के परिपत्र के आधार पर स्टाम्प पत्र में इकरारनामा दाखिल करने का उपरान्त ही जलपानगृह चलाने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में नीलामी की रकम के अनुसार शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस व स्टाम्प शुल्क नीलामी चलाने वाले के द्वारा देय होगा।
07. नीलामीकर्ता को पूर्णतया अपने व्यय से न्यायालय परिसर में अस्थायी निर्माण करके जहाँ पर जलपानगृह चल रहा था अथवा जिला जज कार्यालय द्वारा निर्धारित या परियाचित स्थान पर ही जलपानगृह चलाना होगा।
08. नीलामी प्राप्त करने पर डेकेंदार को न्यायालय से कर्वी/विद्युत के संयोजन से जल व बिजुत नहीं आ सकते।
09. नीलामी अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी को यह अधिकार है कि वह नीलामी का किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है। उच्चतम निविदा की भी नीलामी अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होगा।
10. नीलामी लेने वाले डेकेंदार को विक्रय योग्य सामान की मूल्क सूची रखना होगा तथा स्वास्थ्य संबंधी शर्तों नियमों का पालन करना होगा।
11. विक्रय किया जाने वाला सामान हर समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा यदि वह सामान आपत्तिजनक पाया गया तो उसका विक्रय बन्द कराने का अधिकार जिला जज को प्राप्त रहेगा। यदि संविदा भंग की जाती है तो अमानत धनराशि को जवाब कर सिमा जाएगा।
12. नीलामी वाले का नगरपालिका परिषद द्वारा लगाया गया टैक्स अदा करना होगा व अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत सभी संबंधित पंजीकरण कराना होगा।

संकेत: एम.ए. 74/22

महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र राज्य सरकार, मुंबई

मुंबई, दिनांक 7/4/22

  
7/4/22